<u>न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, नाथद्वारा, जिला राजसमन्द</u>

पीठासीन अधिकारी : श्री विक्रमसिंह, आर एच जे एस

मूल दीवानी वाद संख्या– 17/2019

लक्ष्मीलाल बनाम नाथद्वारा मन्दिर मण्डल

<u>**विवाद्यक**</u> **दिनांक : 05.02.2020**

1. आया वादी वादपत्र की कलम संख्या 1 में क्रम सं. 1 से 9 में वर्णितानुसार प्रतिवादी के यहां किये गये निर्माण, मरम्मत, रिनोवेशन, कलर आदि के कार्य की बकाया राशि 13,21,500/–रुपये एवं उक्त रकम पर वाद दायरी से तावसूली 1/–रुपये प्रतिसैंकड़ा प्रतिमाह की दर से ब्याज अथवा हर्जाना प्रतिवादी से प्राप्त करने का अधिकारी है ?

——वादी

2. आया वादी प्रतिवादी के विरुद्ध नोटिस दिनांक 29.03.2019 के आधार पर वादी की स्वीकृति निविदा को निरस्त नहीं करने, वादी को निविदा की शर्तानुसार की चाल व प्लान अनुसार कार्य बता कार्य पूर्ण कराने, कार्य में बाधा व रुकावट नहीं डालने, समय पर कार्य अनुसार रकम अदायगी में चूक नहीं करने बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने का अधिकारी है ?

——वादी

3. आया वादी द्वारा वाद में अलग अलग दिनांक, राशि व अवधि से संबंधित सभी कार्यों को एक ही प्रकरण में समायोजित करने के कारण मिस जोइन्डर ऑफ कोज ऑफ एक्शन होने से वाद निरस्त योग्य है ?

——प्रतिवादी

4. आया प्रकरण निविदा से संबंधित होने के कारण इस न्यायालय के श्रवणाधिकार का नहीं है ?

——प्रतिवादी

5. आया वादी को कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ है ?

——प्रतिवादी

उभयपक्ष को विवाद्यक सुनाये गये तो किसी भी पक्ष ने कोई अन्य विवाद्यक नहीं सुझाया ।

अपर जिला न्यायाधीश,
नाथद्वारा